Title: Regarding letters written by the abducted High Court lawyer Shri S. Krishnaswami to various authorities about a plan of abduction of some personalities by Veerrappan.

श्री रामजीलाल ्सुमन (फिरोजा्बाद) : अध्यक्ष महोद्य, चेन्नई हाई कोर्ट के ्वकील श्री एस. कृणा्स्वामी का ्वीरप्पन ने अपहरण कर ल्या था। ग्यारह दिन तक ्वीरप्पन के पा्स रहने के ्बाद 18.6.1998 को श्री एस. कृणा्स्वामी ने हिन्दुस्तान के गृह मंत्री को एक पत्र लिखा था और उ्समें इ्स ्बात का खुला्सा कि्या था कि ्वीरप्पन ्सुश्री ज्यललिता, श्री दे्वेगौ्ड़ा, श्री के. मूपनार, श्री रजनीकांत और श्री राजकुमार के अपहरण की ्योजना ्बना रहा है। उ्स पत्र की प्रति मेरे पा्स है। ्भारत ्सरकार के ्साथ-्साथ श्री एस. कृणा्स्वामी ने ्सै्क्रेटरी टू ग्वर्नमैंट ऑफ इंड्या, ्सै्क्रेटरी टू ग्वर्नमैंट ऑफ तमिलनाडु, ्सै्क्रेटरी टू ग्वर्नमैंट ऑफ कर्नाटक और ज्वाइंट कमांडैंट, ्स्पै्शल टा्स्क फो्र्स को ्भी लिखा कि ग्यारह दिन तक मेरी ्वीरप्पन ्से जो ्बातचीत हुई है, उ्समे ्वीरप्पन इन लोगों के अपहरण करने की ्योजना ्बना रहा है। ्यदि ्भारत ्सरकार ने ्सार्थक पहल की होती, राजकुमार की प्र्याप्त ्सुरक्षा व्यव्स्था ्सुनि्श्चित की होती तो उ्स कन्न्ड़ अभिनेता को ्बंधक नहीं ्बना्या जा ्सकता था। ्यह अत्यधिक गं्भीर मामला है। श्री एस. कृणा्स्वामी ने जो पत्र लिखा था, उ्स पर न राज्य ्सरकार ने और न ही हिन्दुस्तान ्सरकार ने कोई त्वज्जो दी है। मैं ज्रूर चाहूंगा कि इ्स मामले पर ्सदन में चर्चा हो और ्सरकार स्थिति ्स्प्ट करे।